

फरद अहकाम  
भैरवी का बनाम V/S बाबूलाह का

कार्यालय

उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक

विराटनगर (जयपुर)

28/8/17

प्रापक पदधारणी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण



वेब कॉपी - नॉट ऑफिशियल

31/05/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत में  
पेश की गई। उपस्थित पक्षकारों को  
सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर  
उपलब्ध डेटाबेसों विधि के मुताबिक  
आवधानों का अवलोकन किया गया।  
प्राचीनगढ़ ने अपनी खोलेदारी भूमि  
ग्राहक हरिकिशनपुरा के ख.नं. 519/556  
591, 598/525, 599/525 का  
डिपेंड 04.06.2016 को सीमाज्ञान कराया  
है, जिसकी कई सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न  
हैं। आ. खोलेदार को अपनी खोलेदारी  
भूमि की सीमा का ड्राग होना अपनी  
खोलेदारी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित  
रखने का हक अधिकार है। अब  
तहसीलदार विराटनगर को आदेश  
दिये जाते हैं कि प्राचीनगढ़ की खोलेदारी  
भूमि ग्राहक हरिकिशनपुरा के खसरा  
नम्बर 519/556, 591, 598/525,  
599/525 की पत्थरगरी का पालन  
रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।  
निर्णय इसके आक सुनाया गया

अध्यापक  
31/05/2018

गोपाल



पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार-2018  
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)